09.01.2020 प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित राज पैरोकार उपस्थित उभयपक्ष की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया कि प्रार्थीगण को दिनांक 27.06.1972 को चक 23 एन.डी.आर. में कमीपूर्ति में भूमि आवंटन की गई थी जिसको नजरसानी करते हुए आदेश दिनांक 12.02.1975 के द्वारा आवंटन आदेश को निरस्त किया गया था आदेश दिनांक 12.02.1975 के विरूद्ध प्रार्थीगण द्वारा माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ के यहां अपील दायर करने पर अपील मे पारित निर्णय दिनांक 15.03.2000 के अनुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आदेश दिनांक 27.06.1972 के आदेश से आवंटित भूमि को यथावत रखते हुए आवंटन आदेश को बहाल रखा गया है।

माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ के आदेश दिनांक 15.03.2000 के विरूद्ध तहसीलदार हनुमानगढ द्वारा राज्य सरकार की ओर से राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में निगरानी प्रस्तुत की गई।

उक्त निगरानी में राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में पारित आदेश दिनांक 01.07.2015 के अनुसार निगरानी को खारिज किया जाकर अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निगराधीन निर्णय को यथावत रखा गया है।

माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.07.2015 के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा कोई अपील प्रस्तुत की गई है, इस सन्दर्भ में कोई सपष्ट रिपोर्ट नही की गई है। जिससे यह प्रतित होता है, कि राज्य सरकार द्वारा कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई है।

माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन निगरानी खारिज होनें से तथा दिनांक 27.06.1972 को प्रार्थीगण के पक्ष में किया गया आवंटन आदेश यथावत रहनें से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सी.पी.सी. स्वीकार जाकर तहसीलदार हनुमानगढ़ को आदेशित किया जाता है, कि माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.07.2015 के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई है, अथवा किसी प्रकार को कोई स्थगन आदि नहीं है, तो दिनांक 27.06.1972 के द्वारा किये गये आवंटन की पालना सुनिश्चित करते हुए आदेश दिनांक 12.02.1975 से पूर्व की स्थिति बहाल की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया तहसीलदार हनुमानगढ को आदेशित किया जाता है, कि प्रकरण में नियमानुसार अपील की मियाद अवधि के पश्चात उक्तानुसार आदेश की पालना की जावे।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Yadav
Date: 2020.01.30 16:44:38 IST
Reason: SelfAttested